



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष: 0141-2227481 फ़ैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाइन: 15100/9928900900

ई-मेल: rsjsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाइट: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:एफ-7(193)/रालसा-संस्था/एसीआर पत्रा. / 2025 / 533

दिनांक: 25/08/25

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ-07/193/रालसा-संस्था/एसीआर पत्राचार/2022/288 दिनांक 28.05.2022 एवं आदेश संख्या 462 दिनांक 27.08.2022 की निरन्तरता में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थाई लोक अदालत कार्यालयों में कार्यरत गैर-न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) की वर्तमान में राजकाज पोर्टल पर तकनीकी कारणों से मैपिंग नहीं होने से पृथक से विभाग का APAR-GROUP नहीं बने होने के कारण उक्तांकित कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारीगण/कार्मिकगण के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) आगामी आदेशों तक ऑफलाईन भरे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

उक्तांकित कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारीगण/कार्मिकगण राजकाज ऑनलाईन पोर्टल पर एलएलएडी (LLAD) एडमिन एसीआर ग्रुप मार्क करते हुए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अपलोड नहीं करे। अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारीगण/कार्मिकगण के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) ऑनलाईन भरे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक:एफ-7(193)/रालसा-संस्था/एसीआर पत्राचार/2025/8890-8901

दिनांक: 25-08-25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. निदेशक/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उपसचिव-प्रथम/उपसचिव-द्वितीय/उपसचिव-एपी एवं एडीआर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
5. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
6. अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी एवं समस्त कर्मचारीगण को सूचित करावें।
7. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त राजस्थान।
8. अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, समस्त राजस्थान।
9. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।
10. वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव/लेखाधिकारी/प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा।
11. समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण.....।
12. संबंधित पत्रावली/आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।